रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062024-254810
CG-DL-E-19062024-254810

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]	नई दिल्ली, बुधवार, जून 19, 2024/ज्येष्ठ 29, 1946
No. 311]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 2024/JYAISHTHA 29, 1946

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2024

सा.का.नि 334(अ).—जबकि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 25 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि 70 (असा.) के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम 15 के उप-नियम (1) में संशोधन के लिए कतिपय नियमों का एक मसौदा प्रकाशित किया गया था जिसमें आधिकारिक राजपत्र की उक्त अधिसूचना वाली प्रतियां जनता को जिस तारीख से उपलब्ध कराई गई थी, उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति से पहले, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

और जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां 30 जनवरी, 2024 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और जबकि उक्त अधिसूचना के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया था;

अब, इसलिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा आगे और निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1.संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-

(1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2024 कहा जाए।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में, नियम (15) में, उप-नियम (1) में, खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ड) गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 2 जनवरी, 2024 के अधिसूचना संख्या आई-34020/187/2020-समन्वय.I के माध्यम से पुलिस थानों, कारागारों और आपदा न्यूनीकरण केन्द्रों के लिए गृह मंत्रालय निर्दिष्ट निर्मित अवसंरचनाओं और संबद्ध सेवाओं के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है।"

[फा. सं. आई-15/2/2023-एआईसी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट: प्रमुख नियमों को दिनांक 15 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि. 591(असा.) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 08 मार्च, 2024 की सा.का.नि. 175 (असा.) के जरिए पिछली बार संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons With Disabilities Divyangjan)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2024

G.S.R. 334(E).—WHEREAS a draft of certain rules to amend sub-rule (1) of rule 15 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 was published, as required by sub-section (1) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), *vide* notification of the Government of India the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities number G.S.R. 70 (E), dated the 25th January 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the said notification was made available to the public on the 30th January 2024;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received in respect of the said notification have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, namely:-

1. Short title and commencement-

(1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in rule 15, in sub-rule (1), after clause (ℓ), the following clause shall be inserted, namely:-

"(m) Accessibility Standards and Guidelines for MHA Specific Built Infrastructures & Associated Services for Police Stations, Prisons & Disaster Mitigation Centres, as specified in the notification of the Ministry of Home Affairs, Government of India *vide* notification number F. No. I-34020/187/2020-Coord.I., dated the 2nd January, 2024".

[F. No. I-15/2/2023-AIC]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 591 (E), dated the 15th June, 2017 and was last amended *vide* G.S.R. 175(E), dated the 8th March, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.06.19 19:59:39 +05'30'